न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 35 / 2018

1– सुरजाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी गुणपालिया तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार, जरिये उप तहसीलदार निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री समदर सिंह नाथावत व श्री भगवती प्रसाद शर्मा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार निम्बी जोधा बअनुवान राज0 सरकार जरिये पटवारी हल्का, बल्दु बनाम सुरजाराम मु0 नं0 16 / 18 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट दिनांक 07.06.2018

निर्णय

दिनांक : 15.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार निम्बी जोधा के प्रकरण सं0 16 / 2018 बअनुवान पटवारी हल्का बल्दु बनाम सुरजाराम में पारित निर्णय दिनांक 07.06..2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बल्दु ने अपीलान्ट / अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार निम्बी जोधा को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट / अप्रार्थी ने मौजा ग्राम गुणपालिया के खसरा नम्बर 17 किस्म गैम0मु0 रास्ते की भूमि रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा मे से 01 बीघा पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

तारबन्दी, डोल, बाड़ लगाकर नाजायत अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस चस्पा मय दो मोतबराने के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुवे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा निम्बी जोधा के खसरा नम्बर 17 रकबा 01 बीघा किस्म गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा निम्बी जोधा के खसरा नम्बर 17 रकबा 01 बीघा गैर मुमकिन रास्ता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर से जुर्माना रूपये 15/– अक्षरे पन्द्रह रूपये कायम किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 10.07.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 10.07.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/27 दिनांक 09.04.2019 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। दिनांक 2.11.2018 को अधिवक्ता श्री प्रकाश डूकिया ने प्रार्थी श्री द्वारकादास पुत्र श्री डूंगरदास जाति साद निवासी गुणपालिया की ओर से आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे पक्षकार बनाया जावें। विद्वान वकुलाय की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गयीं तथा तथा आवश्यक पक्षकार नहीं होने से प्रार्थी द्वारकादास पुत्र डूंगरदास का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का खारिज किया गया । वकील अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.6.18 की प्रमाणित प्रति, व ग्राम गुणपालिया की सवंत 2072 से 2075 की जमाबन्दि की प्रति पेश की।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि की हैं, योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रृटि की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिली है तथा न ही पटवचारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है। तथा अपीलान्ट/प्रार्थी को साक्ष्य सबुत का अवसर भी नहीं दिया है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि अपीलार्थी को न्यायालय उप तहसीलदार निम्बी जोधा द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) – यह है कि अपीलार्न्थी के खेत खसरा नम्बर 12 रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 21 रकबा 10 बीघा दोनों भूमियॉ पैतृक कृषि भूमि रही है, जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता गंगाराम की खातेदारी की रही है तथा उपरोक्त कृषि भूमियॉ

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट को भाई बंट में दी गई। जिस पर अपीलान्ट समझ समझाईश से कब्जा काश्त है। जबकि खसरा नम्बर 12 व खसरा नम्बर 21 सरहद गुणपालिया में से होकर बीचों बीच खसरा नम्बर 17 गै0मु0 रास्ता सदैव से रहा है तथा आज भी मौके पर रास्ता चालू हें परन्तु रेवन्यू रिकोर्ड में उपरोक्त रास्ता उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से होकर टेडा/तिरछा वर्णित राजस्व कर्मचारियों की भूल से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो रखा है। जबकि मौके पर उपरोक्तत रास्ता आज भी अपीलान्ट के खेत में से होकर खेत के बीचो–बीच होकर मौके पर आज भी चालू है अपीलान्ट ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को तारबन्दी/डोल लगाकर सीमाबंदी कर रखी है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में से होकर नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी मौके पर आज भी मौजूद है।

{3}(7) – यह है कि उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 12 व 21 में से होकर वर्षो यानि रियासत काल के समय से जो रास्ता आज मौके पर चालू है, तथा वर्तमान में भी आवागमन बिना किसी रोक टोक व बाधा के निर्विवाद रूप से चालू है। तथा मौके पर चालू रास्ते को हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अलग ही दर्शाया है। ख0नं0 12 व 21 के बीचो बीच चालू है तथा दोनो खसरा नम्बर की भूमि अपीलान्ट की खातेदारी में आई हुई कृषि भूमि है।

{3}(8) – यह है कि अपीलान्ट के खिलाफ राजनैतिक द्वैषता पूर्वक यह कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 17 गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया । नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता आज भी चालू है। जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्याय हित में है।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का बल्दु की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक निम्बी जोधा द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम गुणपालिया, के खसरा नम्बर 17 रकबा 1.00 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता पर डोल व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैतारण

हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का नोटिस चस्पा होकर अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा अपीलार्थी/अप्रार्थी स्वयं दिनांक 7.6.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त मुतनाजा भूमि सार्वजनिक हितार्थ की भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति का हक अधिकार नही हो सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी को सम्पूर्ण साक्षय पेश करने व सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

:::: **आदेश** ::::

अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.06.2018 को बहाल रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)